SUPRA INDUSTRIAL RESOURCES LTD.

Regd. Off: 1212, Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019
CIN: L65999DL1985PLC019987 Website: www.supraindustrialresources.in
E-mail: supra1985@gmail.com / supraexchange.com@gmail.com

NOTICE TO SHAREHOLDES

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September, 2024 at 11:00 a.m. As per the guidelines issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, the forthcoming AGM will thus be held physically. Hence, Members can attend and participate in the ensuring AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the 39th AGM shall be 1212 Hemkunt Chambers, 89, Nehru Place, New Delhi - 110019 to transact the business contained in the Notice dated 03/09/2024 sent to all the members individually at their registered email address and also uploaded on the Company's website www.supraindustrialresources.in.

Further notice is given that e-voting and facility through VC/OAVM has been provided for transacting the business at the aforesaid AGM to the shareholders. Members holding shares either in physical or dematerialized form as on the cutoff date of 23/09/2024 may cast their vote electronically through electronic voting system of Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL). All the members are informed that (a) the business as set out in the notice of 39th AGM may be transacted by electronic voting. Working through electronic means shall commence on 27/09/2024 (9:00 Am IST) and shall end on 29/09/2024 (5.00 pm IST) (b) members are requested to refer the instruction on e-voting and VC/OAVM, forming part of AGM notice regarding the process and manner for voting by VC/OAVM, forming part of AGM notice regarding the process and manner for voting by VC/OAVM and electronic means. Members who have already cast their votes by e-voting may attend the AGM by VC/OAVM but shall not be entitled to vote.

For Supra Industrial Resources Ltd
Sd/-
(Rajat Agarwal)
Director
DIN: 00266205

Place: New Delhi
Date: 06.09.2024

IDBI BANK — कारण बताओ नोटिस

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आरएसी नेहरू एन्क्लेव, सीसी 22, होटल कॉन्क्लेव एग्जीक्यूटिव, कालकाजी (पारस सिनेमा के सामने) नई दिल्ली–110019

उधारकर्ताः श्री सुनील कुमार गुप्ता और श्रीमती प्रीति गुप्ता
फ्लैट नंबर–60–डी, पॉकेट–ए, सुखदेव विहार, नई दिल्ली –110025

नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि 01 जुलाई, 2016 को वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी – वर्गीकरण और रिपोर्टिंग पर आरबीआई मास्टर निर्देशों ('मास्टर निर्देश') के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है और बैंक द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को जारी कारण बताओ नोटिस बिना तामील किए वापस आ गया है।

नाम	पता	पदनाम
श्री सुनील कुमार गुप्ता	फ्लैट नंबर–60–डी, पॉकेट–ए, सुखदेव विहार, नई दिल्ली –110025	उधारकर्ता
श्रीमती प्रीति गुप्ता	फ्लैट नंबर–60–डी, पॉकेट–ए, सुखदेव विहार, नई दिल्ली –110025	उधारकर्ता

उपरोक्त व्यक्ति, यदि वे चाहें तो, (क) ऊपर दिए गए पते पर पहचान का प्रमाण प्रस्तुत करके व्यक्तिगत रूप से या विधिवत् अधिकृत व्यक्ति द्वारा कारण बताओ नोटिस की प्रति तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। (ख) इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के भीतर कारण बताओ नोटिस दे सकते हैं कि उनके नाम को मास्टर निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में क्यों न वर्गीकृत किया जाए और उसके बाद कार्रवाई की जाए।

दिनांकः 06.09.2024 (भारत भूषण प्रेमी)
स्थानः नई दिल्ली (केंद्र प्रमुख, डीजीएम)

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)
निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई–400051

माँग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड** (पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत माँग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे माँग सूचना(नों) की प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान–स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। माँग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :

उधारकर्ता (ओं) के नाम	माँग सूचना तिथि तथा राशि
1. हरमीत कहान 2. अलका हरमीत	30 अगस्त, 2024 रू. 26,60,866.00/– (रुपये छब्बीस लाख साठ हजार आठ सौ छियासठ मात्र) 30 अगस्त 2024 के अनुसार

बंधकृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति की स्वामी – हरमीत पुत्र स्वर्गीय कहान सिंह पुत्र श्री राम स्वरूप,
संपत्ति विवरण – भूखण्ड सं. 4 पार्ट, लाइन नं. 12, संपत्ति आईडी सं. 179सी86यू123, जो ग्राम नसीपुर, तहसील एवं जनपद अंबाला में, हदबस्त सं. 115, खेवट सं. 776/746, खतौनी सं. 795 मिन., खसरा सं. 356 पर स्थित, माप 125 वर्ग गज, जो निम्नानुसार परिसीमित है :– **उत्तर**– 23 फुट 9 इंच भुजा तथा अन्य की भूमि, **दक्षिण**– 23 फुट 9 इंच भुजा तथा गली 19 फुट चौड़ी, **पूर्व**– 47 फुट 6 इंच भुजा तथा अन्य की भूमि, **पश्चिम**– 47 फुट 6 इंच भुजा तथा अन्य की भूमि।

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि माँग सूचना(ओं) का अनुपालन करें और वहाँ उन सूचनाओं में तथा यहाँ इसमें उपरोक्त तालिका में अंकित माँग राशि का, भुगतान की वसूली होने की तिथि तक गणनाकृत लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्कों, लागत और व्ययों के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों के अंदर भुगतान करें। उधारकर्ता(गण) यह ध्यान में रखें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह एक प्रतिभूत ऋणदाता है और उधारकर्ता(ओं) द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा जो है वह उधारकर्ता(ओं) द्वारा बंधक रखी गईं प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के रूप में अचल संपत्ति/संपत्तियों के समक्ष एक प्रतिभूत ऋण है।

इस प्रकरण में उधारकर्ता(गण) जो हैं वे चूंकि अनुबंधित समय के अंदर पूर्णरूपेण ढंग से अपने भुगतान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का अधिग्रहण करने के लिए अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उपलब्ध समस्त अधिकारों का प्रयोग करने की अधिकारी होगी, जिसमें विक्रय के माध्यम से परिसंपत्तियों का हस्तांतरण अथवा अधिनियम एवं उसके अंतर्गत विरचित नियमावली के अधीन उपलब्ध किसी अन्य उपचार का उपयोग करना तथा भुगतान वसूल करना सम्मिलित होगा, परंतु यह इतने तक ही सीमित भी नहीं होगा। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट जो है वह विक्रय अथवा हस्तांतरण करने के लिए अधिकार का प्रवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) की कुर्की तथा/अथवा सील करने के लिए भी सशक्त है। प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) के विक्रय के उपरांत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के पास यह अधिकार भी है कि वह उस स्थिति में, शेष देयराशियों को वसूल करने के लिए पृथक विधिक कार्यवाहियां आरंभ कर सकती है, यदि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को भुगतानयोग्य देयराशियों का भुगतान पूर्ण करने के लिए बंधक संपत्तियों का मुद्रामूल्य अपर्याप्त होता है। यह उपाय एक अतिरिक्त उपाय है और किसी अन्य विधि–व्यवस्था के अंतर्गत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को उपलब्ध समस्त अन्य उपायों से अलग है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है तथा उस इसके अतिरिक्त उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13(13) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा उधारकर्ता(ओं) को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) का निस्तारण करने अथवा उनका लेन–देन करने अथवा किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति(यों) को बिक्री, पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा (व्यवसाय के सामान्य क्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से) हस्तॉंतरित करने से प्रतिबंधित/निषेधित किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न होने पर यह उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है। माँग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता(गण), यदि वे इच्छुक हैं, तो प्रतियाँ किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं।

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : हरियाणा / अंबाला एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
दिनांक : 07-09-2024 (पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

दक्षिण रेलवे

निविदा आमंत्रण सूचना

यांत्रिक शाखा, दक्षिण रेलवे के मुख्यालय कार्यालय द्वारा ''दक्षिण रेलवे के विभिन्न कोचिंग डिपो में दो वर्षों की अवधि के लिये सुविधा मदों के थर्ड पार्टी प्रॉसेस तथा प्रॉडक्ट ऑडिट तथ प्रति माह 25 ट्रेनों के हाउसकीपिंग'' के कार्य के आउटसोर्सिंग के लिये योग्य एजेन्सियों से दो पैकेट बोली में आईआरईपीएस सिस्टम में ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित है।

क्रम सं.	विवरण	विवरण
1.	निविदा सं.	PCME_HQ_2024_1_EnHM_TPA
2.	कार्य का नाम	''दक्षिण रेलवे के विभिन्न कोचिंग डिपो में दो वर्षों की अवधि के लिये सुविधा मदों के थर्ड पार्टी प्रॉसेस तथा प्रॉडक्ट ऑडिट तथ प्रति माह 25 ट्रेनों के हाउसकीपिंग''
3.	निविदा की वैधता	निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन
4.	कार्य की अनुमानित लागत (जीएसटी सहित)	रु. 87,83,892/– (रु. सत्तासी लाख तिड़ासी हजार आठ सौ बानवे मात्र)
5.	धरोहर राशि भुगतान	रु. 1,75,700/– (रु. एक लाख पचहत्तर हजार सात सौ मात्र)
6.	अनुबंध की समयावधि	24 माह
7.	एनआईटी/निविदा दस्तावेज का विवरण	निविदा दस्तावेज https://ireps.gov.in/portal से डाउनलोड की जा सकती है।
8.	निविदा दस्तावेज मूल्य (अप्रतिदेय)	रु. 5000/– (18% की दर से जीएसटी सहित)
9.	स्पष्टीकरण प्राप्त करने का स्थान	प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, दक्षिण रेलवे, चेन्नई-600003 का कार्यालय
10.	निविदा जमा/अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.9.2024@ 15.00 बजे
11.	निविदा (तकनीकी बोली) खुलने की तिथि एवं समय	25.9.2024@ 15.30 बजे
12.	वेबसाइट जहां से कोई अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है	https://ireps.gov.in/

उप सीएमई/सीएचजी
पीसीएमई का कार्यालय

UPSIDA — कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक (अभि.), उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ए–1/4, लखनपुर, कानपुर

ई–निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास/अनुरक्षण / उच्चीकरण कार्यों हेतु सरकारी विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों/नगर निकायों में कार्यरत फर्मों/ठेकेदारों से ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसको अपलोड करने की समयसीमा निम्नवत् है–

1. क्रम सं. 1 से 4 पर अंकित कार्यों की निविदा दिनांक 09.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 17.09.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, जिन्हें दिनांक 18.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा (अल्पकालिक)
2. क्रम सं. 5 से 7 पर अंकित कार्यों की निविदा दिनांक 10.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से दिनांक 18.09.2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक अपलोड की जा सकती है, जिन्हें दिनांक 19.09.2024 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा (अल्पकालिक)

निविदादाताओं द्वारा केवल शपथपत्रों की मूल प्रतियाँ निविदा प्रपत्रों में उल्लिखित दिनांक तक कार्यालय में जमा की जा सकेंगी। ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं का विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की लागत रु. (लाख में)
1	Construction of R.C.C roads Drain of Existing RD no 10,11,18 and 19 AT I. A. Loha Mandi Distt Ghaziabad	195.38
2	Widening, Strengthening And Interlocking Tiles of Existing Road No. 8 (Rathi Road) To Plot No. 35/1 & From Plot No. E-32 to C-14(N.H.-9) at I.A. South Side G.T. Road Ghaziabad.	318.89
3	Widening & Strengthening of Existing Road From Plot No.C-3/5 (Rathi Road) To Plot No. G-1(Petrol Pump) and from Plot No. 27 to 29 & Sub Division Road of Plot No. 33 And R.C.C. Drain at I.A. South Side G.T. Road Ghaziabad	375.91
4	Widening, Strengthening And Construction of R.C.C. Drain of Sub Division Road of "A Block" at I.A. South Side G.T. Road Ghaziabad	409.66
5	Bulandshahar Road Industrial Area Main Road No Construction Work of 2 Par Nala & RCC Road Ka Nirmaan Karya.	263.58
6	Bulandshahar Road I.A. Main Mukherji Park ke Back Side B 22/6 Se B 22/3 tak Nala & RCC Road ka Nirma Karya	112.53
7	Strengthening/ Widening Of Existing Road No.2 (Part) 24, 32 & 33 And Construction Of Drain At Road No. 9 & 34 At I.A. Bulandshahar Road Distt: Ghaziabad	294.69

नोटः– निविदादाता अपनी निविदाओं में समस्त कर सहित दरें अंकित करें। जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
निविदा सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राधिकरण की website: www.onlineupsidc.com पर स्थित ई–लिंक एवं यूपीएलसी की website: http://etender.up.nic.in पर देखी जा सकती है। अन्य जानकारी हेतु कार्यालय के सहायक प्रबन्धक (सिविल) के मोबाइल नं. 9971857178 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान महाप्रबन्धक (अभि.)
उ.प्र.रा.औ.वि. प्रा., कानपुर

मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

प्रधान कार्यालयः एन–2, दूसरी मंजिल, साउथ एक्सटेंशन–1, नई दिल्ली – 110049

'परिशिष्ट–IV–ए' [नियम 8(6) का परंतुक देखें] अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सुरक्षित लेनदारों) को गिरवी / चार्ज की गई है, जिसका कब्जा है मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा लिया गया, राशि की वसूली के लिए 19.10.2024 को 'जैसा है जहां है', 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। जैसा कि नीचे बताया गया है, निम्नलिखित उधारकर्ताओं, गारंटरों और कॉर्पोरेट गारंटरों से सुरक्षित लेनदारों के कारण। आरक्षित मूल्य और जमा की जाने वाली बयाना राशि क्रमशः नीचे उल्लिखित है।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम पते/पते के साथ	संपत्तियों का विवरण और मालिक	आरक्षित मूल्य (आरपी) और ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत और वृद्धिशील राशि	मांग सूचना के अनुसार वसूली राशि	ऑन–साइट संपत्ति का निरीक्षण की तारीख और समय	ई–नीलामी की तिथि एवं समय
1	1. हरीश चंद्र यादव पुत्र रामजी यादव आदर्श जनरल स्टोर के मालिक, 2. प्रियंका देवी पत्नी हरीश चंद्र यादव, दोनों निवास स्थान – मकान नंबर सी–65, नेहरू गार्डन, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201309, यहां भी: डी/8, नेहरू गार्डन, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201309 **क्र.सं. 1 यह भी देखें:** प्लॉट नं. 18ध3, यहाँ भी 309/5, खोरा कॉलोनी, गाजियाबाद, नेहरू गार्डन, एनआर पोस्ट ऑफिस नोएडा, उत्तर प्रदेश 201309 ऋण संख्या – HL0000000001635 और LP000000004239	सभी टुकड़े और पार्सल आवासीय प्लॉट संख्या 18/3, क्षेत्रफल 20.90 वर्ग मीटर, खंभा संख्या 309/5 पर, नेहरू गार्डन/अंकुर विहार, गांव खोरा, परगना लोनी, तहसील और जिला – गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। सीमाएं: पूर्वः दीगर मलिक का प्लॉट, पश्चिमः दीगर मलिक का प्लॉट, उत्तरः दीगर मलिक का प्लॉट, दक्षिणः सड़क 15 फीट	17,000,000/- ..... 1,70,000/- 17,000/-	31.01.2023 को रु. 20,44,294.03/–	07–10–2024 से 08–10–2024 तक प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक	09–10–2024 सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

ईएमडी राशि एनईएफटी/आरटीजीएस/फंड ट्रांसफर के माध्यम से 'मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' बैंक खाता संख्या 1921210422141794, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईएफएससी कोड AUBL0002104, शाखा – ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली के पक्ष में भेजी जाएगी।
ईएमडी जमा करने और बोली दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि: 08–10–2024 दोपहर 12.00 बजे तक https://www.bankauctions.com पर
अंतिम खरीद मूल्य का शेष 25प्रतिशत घटाकर ईएमडी राशि सफल बोलीदाता द्वारा अगले कार्य दिवस तक मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ई–नीलामी खाते में आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से जमा की जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है। अंतिम खरीद का शेष 75 प्रतिशत नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपरोक्त ई–नीलामी खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। असफल बोलीदाताओं को ईएमडी की वापसी केवल 5 कार्य दिवसों के भीतर ऐसे बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र में उल्लिखित खाता संख्या में की जाएगी।
नियम और शर्तें:–
ई–नीलामी 'जैसा है जहां है' और 'जैसा है जो है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर आयोजित किया जा रहा है और 'ऑनलाइन' आयोजित किया जाएगा। नीलामी मणिभवनम के अनुमोदित सेवा प्रदाता मेसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से वेब पोर्टल https://www.bankauctions.com पर आयोजित की जाएगी। बोली दस्तावेज, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तें यहां उपलब्ध हैं https://www-bankauctions-com, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, नीलामी में रखी गई संपत्तियों के शीर्षक और दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्तियों को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए, इस संबंध में, ए–नीलामी विज्ञापन करता है मणिभवनम की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं किया जाएगा और न ही माना जाएगा। बोलीदाता ई–नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स 4 क्लोजर, हैदराबाद हेल्पलाइन नंबर: 0814200062/65/66, ईमेल: info@bankauctions.in संपर्क व्यक्तिः विकास कुमारः 08142000809, 08076427383, ईमेलः vikas@bankauctions.in से भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया श्री रतन गुलिया से मोबाइलः +91 8376902766 पर संपर्क करें। कृपया ध्यान दें कि अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित नीलामी नोटिस के बीच किसी भी विसंगति/असंगतता के मामले में अंग्रेजी में प्रकाशित नोटिस की सामग्री मान्य होगी। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावे/अधिकार/बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। बिक्री वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्तों के अधीन होगी। **सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री सूचना**

स्थानः गाजियाबाद, दिनांकः 07.09.2024 **प्राधिकृत अधिकारी, मणिभवनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय मलिक चौक, इन्द्रानगर, देहरादून उत्तराखण्ड–248001

(अचल सम्पत्ति हेतु (नियम 8(1)) कब्जा सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अनुच्छेद–13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाये गये खाते में उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस प्राप्ति की तारीख/उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ऋणियों/गारन्टर/बंधककर्ता/के कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/ऋणियों/के कानूनी उत्तराधिकारी और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम–8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। ऋणी/ऋणियों/ गारन्टर/के कानूनी उत्तराधिकारी को विशेष रूप से एवं जन सामान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/सम्पत्तियों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें। इन सम्पत्ति/सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन–देन **इण्डियन ओवरसीज बैंक** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। ''उधारकर्त्ता(ओं)/के कानूनी उत्तराधिकारी का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।''

क्र. सं.	शाखा/ऋणी/बंधककर्ता के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि
1.	**शाखाः कोटद्वार पौडी गढवाल (2543)** **ऋणी :-** श्री अजय कुमार पुत्र स्व. विशालमणि चमोली और मृतक बंधककर्ता/गारंटर के कानूनी उत्तराधिकारी श्री विशालमणि चमोली पुत्र स्व. जगनाथ चमोली आईई श्रीमान अजय कुमार (पुत्र स्वर्गीय श्री विशालमणि चमोली), श्रीमती बिमला देवी (पत्नी स्वर्गीय श्री विशालमणि चमोली), श्री संजय कुमार (पुत्र स्वर्गीय श्री विशालमणि चमोली और श्री संतोष (पुत्र स्वर्गीय श्री विशालमणि चमोली), **जिनका स्थायी पताः** ग्राम रामदयालपुर, पो. किशनपुर, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल उत्तराखंड–246149	प्राथमिक : दृष्टिबंधक – स्टॉक बंधक अचल सम्पत्ति मकान सहित जिसका खेत नं0 35 एमए, खतौनी खाता नं0 25 (पुरानी खतौनी खाता नं0 23) जो ग्राम रामदयालपुर, पट्टी हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार, जिला–पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड–246149 में स्थित है। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 6806 वर्ग फिट सम्पत्ति स्वामी श्री विशाल मणि चमोली पुत्र स्व. जगनाथ चमोली, **सीमाएँ:** (विक्रय विलेख के अनुसार/ रजिस्ट्री दिनांक 16.01.2002) **पूर्व**– गोवर्धन प्रसाद गौड़ की भूमि, **पश्चिम**– विक्रेता की भूमि, **उत्तर**– रास्ता और फिर जंगल की भूमि, **दक्षिण**– विक्रेता की भूमि।	**19.01.2024** **कब्जा तिथि** **04.09.2024**	रु0 14,14,051.00 दिनांक 30.08.2024 तक + संविदात्मक दरों पर अतिरिक्त ब्याज, व्यय और अन्य शुल्क आदि दिनांक 31.08.2024 से

दिनांकः 04.09.2024 **प्राधिकृत अधिकारी, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक**

OMKARA — ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन : U67100TG2018PTC128165
निबंधित कार्यालय : सेलिबिटी स्क्वॉयर, 4वां तल, एनसी जेवियर मार्ग, आरटी. रहमतुल्ला बैग, ऊपर हरिराम, मुंबई–400026, ईमेल : info@bankauctions@omkaramc.com, दूरभाष 022-66201111, प्राधिकृत अधिकारी मोबा. नं.: +91 86579 86031
[परिशिष्ट – IV–ए] [8(1) के साथ पठित नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्ति के ई–नीलामी विक्रय की सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("सरफेसि अधिनियम") के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। इसके अलावा, ओएआरपीएल (ओमकारा पीएस 08/2021–22 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता से कार्य करते हुए) ने इंडसइंड बैंक लिमिटेड (इंडसइंड बैंक) से दिनांक 29.06.2021 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से नीचे दिए गए खातों के संपूर्ण बकाया ऋणों को असाइन बैंक से अर्जित सुरक्षा के साथ अधिग्रहित कर लिया है। तदनुसार, ओएआरपीएल ने असाइनर बैंक की जगह ले ली है और बकाया राशि वसूलने और सुरक्षा को लागू करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ओएआरपीएल के प्राधिकृत अधिकारी ने उधारकर्ता/कार्यकर्ता/सह–उधारकर्ता से नीचे उल्लिखित सूचित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है। ओएआरपीएल के प्राधिकृत अधिकारी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित सूचित संपत्तियों को बेचने का इरादा रखते हैं और इसलिए सूचित संपत्तियों की खरीद के लिए निविदाएं/बोलियां सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती हैं। संपत्तियों को सरफेसि अधिनियम की धारा 13 (2) और (6) के प्रावधानों के तहत अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिखाए गए संबंधित उधारकर्ता और सह–उधारकर्ता(ओं) से सूचित ऋणराशि के रूप में ओएआरपीएल को देय राशि की वसूली के लिए 'जहां है, जैसा है', 'जो कुछ भी है' और 'बिना सहारा के आधार पर' बेचा जाएगा। उधारकर्ता/गारंटर/ऋण, प्रतिभूति, मालिक, बकाया राशि, धारा 13(2) के तहत भेजी गई मांग सूचना की तिथि, कब्जे की तिथि, आरक्षित मूल्य, बोली वृद्धि राशि, बयाना राशि जमा (ईएमडी), निरीक्षण की तिथि और समय का विवरण निम्नानुसार है

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) / गारंटर / बंधककर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण	लंबित के दावों	04.09.2024 के अनुसार बकाया देयराशियां (आईएमआर में)	मांग सूचना तिथि	अधिग्रहण तिथि	आरक्षित मूल्य (आईएमआर में)	बोली वृद्धि राशि (आईएमआर में)	ईएमडी (आईएमआर में)	निरीक्षण की तिथि तथा समय
1.	मैसर्स यूनिवर्सल इंजर्स लॉजिस्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री योगेश गालोत, श्री सुनील कुमार सिंघ, बीनपी पुष्प गालोत	संपत्ति के समक्ष वह भाग तथा अंश जो भूतल पर प्लॉटिंग के साथ, 15 x 40 1/2 लम्बाई पीछे की ओर (लगभग मिलता) की बाय के साथ, निर्मित सम्पत्ति संख्या उन्यूनेट –100, स्ट्रीट नं. जीए/2 के हिस्से पर निर्मित, क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (एक दुकान के प्रोपराटर जिसका आकार 15 x 180/2 है जो प्लॉट